महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या–क0नि0–4 / 1504 / 11–2010–600(31) / 2004

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– महानिरीक्षक,
निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– आयुक्त,
मनोरंजन कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–4 लखनऊ :: दिनांक :: 26 जुलाई, 2010

विषय :– प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिर्पोट के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलो का निपटारा) नियमावली, 1995 के **नियम–4** में निर्धारित प्रक्रिया/अवधि में निस्तारित किये जाने का प्राविधान है, जो बाध्यकारी है। निर्धारित समयाविधि में प्रत्यावेदन का निस्तारण न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मिक को उल्लिखित नियमावली के **नियम– 5** का लाभ स्वतः प्राप्त हो जाता है तथा प्रतिकूल प्रविष्टि निष्प्रभावी हो जाती है।

2. सुसंगत नियमावली, 1995 के **नियम–4(3)** में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रतिकूल रिपोर्ट को अभिलिखित करने वाला प्राधिकारी प्रत्यावेदन प्राप्त होने के दिनांक से 45 दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीका टिप्पणी सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्बनाधीन हो।

नियम–4(4) में यह व्यवस्था दी गयी है कि सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उप नियम–3 में निनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी. के साथ

प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टीका टिप्पणी प्राप्त न हुई हो, तो टीका–टिप्पणी की प्रतीक्षा किए बिना प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः, जैसा वह उचित समझे, निकालते हुए, सकारण आदेश पारित करेगा।

नियम–5 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि जहॉ सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह इस सम्बन्ध में अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

3. उपरोक्तानुसार नियमावली, 1995 में सुस्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद शासन स्तर पर यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रत्यावेदनों के निस्तारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया/नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश प्रत्यावेदन मुख्यालय से बिना टीका–टिप्पणी के अग्रसारित कर शासन को प्रेषित कर दिए जाते हैं और शासन स्तर पर पुनः टिप्पणी/आख्या मॉगने पर सामान्यतः निर्धारित अवधि के पश्चात् ही आख्या/टिप्पणी उपलब्ध कराने, शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व ही निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाती है, सम्बन्धित कार्मिक द्वारा पारित आदेशों को विभिन्न विधिक फोरम/संस्थानों में चुनौती देकर, विभागीय शिथिल कार्यप्रणाली के कारण सुसंगत नियमावली, 1995 के नियम–5 का लाभ स्वतः मिल जाता है, जिससे प्रतिकूल प्रविष्टि देने का मूल उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है।

4. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों/नियमों के आलोक में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के ससमय निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया प्रत्येक स्तर पर अपनायी जाए :–

(1) शासन के माध्यम से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर पर सीधे प्राप्त प्रत्यावेदनों को मात्र अग्रसारित न करके, प्रत्यावेदनों में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में परिधिगत प्रविष्टिकर्ता प्राधिकारी की टिप्पणी 60 दिन में प्राप्त की जाए और उसे 30 दिन के भीतर विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को वांछित टिप्पणी/आख्या अपने मन्तव्य सहित प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। शासन स्तर पर 30 दिन के भीतर अन्तिम निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा।

(2) वार्षिक प्रविष्टि में कतिपय प्रतिकूल अंश होने पर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता तीनों प्राधिकारियों की प्रविष्टियों को संसूचित किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त तीनों प्रविष्टिकर्ता प्राधिकारी, दी गयी प्रविष्टि पर सहमत न होने पर कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–36/1/78–का–2/2006, दिनांक 12जून, 2006 के अनुसार उसे अपग्रेड अथवा डाउनग्रेड करने पर पर्याप्त औचित्य सहित अपना मन्तव्य अंकित करेंगे।

(3) उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया/अवधि का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित प्राधिकारी की संदिग्ध सत्यनिष्ठा का प्रमाण होगा। अतः विलम्ब के लिए विभागाध्यक्ष एवं परिधिगत सम्बन्धित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डात्मक कार्यवाही की सुस्पष्ट संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव,

संख्या–कनि0–4/ /11–2010–600(31)2004टी0सी0 तद दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव (श्री सिंह/श्री प्रसाद),कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

2– उपसचिव(श्रीमती माथुर)। अनुसचिव (श्री सिंह), कर एंव निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

3– अनुभाग अधिकारी, कर एंव निबन्धन अनुभाग–1,3,4,5,6,।

आज्ञा से

(एम0 बी0 सिंह)
अनुसचिव,

पृ0पत्र संख्या-स्था-1 -प्रत्यावेदन निपटारा नियमावली-1995- 1574 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 29 जुलाई, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासन के उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु प्रेषित:-

1. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश / एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) /एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय / एडीशनल कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य), इलाहाबाद।
2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने जोन में तैनात समस्त अधिकारियों को उक्त निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- अपर निदेशक, प्रशिक्षण कर एवं प्रबन्धन शोध संस्थान, वाणिज्य कर,गोमतीनगर, लखनऊ।
4- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील / उच्च न्याया0कार्य) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना उ0प्र0शासन, लखनऊ।
6- समस्त अनुभाग अधिकारी / प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/ टैक्स आडिट/ कारपोरेट सर्किल/ आयल सेक्टर/ उ0न्या0कार्य / सर्वो0न्या0 कार्य)/प्रशिक्षण संस्थान वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9- असिस्टेन्ट कमिश्नर (कम्प्यूटर) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट हेतु।

(जी0एस0बुधियाल)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।